

No. 594/CP  
H.P. Forest Department.

Dated Chopal, the 15-1-2026

To:-

Nodal Officer-com-APCCF (FCA)  
O/o Pr. CCF (HoFF) HP Shimla.

Subject:-


Diversion of 3-43-20 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of road from Dhadu (Dhatrog) to Bholala road (Kms. 0/0 to 9/0, within the jurisdiction of Chopal Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

Sir,

Kindly refer to Govt. of India Ministry of Environment, Forest & Climate Change Regional Officer Shimla office letter No. 8B/HP/06/93/2019/FC/1109 dated 08/09/2020 endst to this office as well as to you and others on the subject cited above.

In this regard, acknowledgment/Compliance letter as supplied by HPPWD Department Executive Engineer, B&R Division HPPWD Chopal is submitted for final approval please.

Encl: - As above.

  
Deputy Conservator of Forests,  
Chopal Forest Division, Chopal

Endst. No. \_\_\_\_\_ Chopal the / /2026

Copy is forwarded to Executive Engineer, B&R Division HPPWD Chopal for favour of information and necessary action please.

  
Deputy Conservator of Forests,  
Chopal Forest Division, Chopal

DFO (FCA)  
17/1/28

Sr. Asst/clk  
for n/a

Mr. Gireh Ran  
Sr Asstt-

  
20/01/2026




**FOR STAGE-II APPROVAL**

Full title of the Project:-C/o road from Dhadu (Dhatrog) to Bholala road (Kms. 0/0 to 9/0).

**PERFOMA**


1.	State/District/Forest Division to which the proposal relates.	Himachal Pradesh/ Shimla / Chopal.
2.	Name of User Agency.	HPPWD
3.	Nature of proposal.	Road
4.	Extent of forest area involved.	3.4320 hectare.
5.	Weather Original or extension.	Original
6.	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional forest area and if so specify.	No
7.	Date of 1 <sup>st</sup> Stage clearance.	08-09-2020
8.	Amount to be realized (in Rs.) for	59,40,171/-
a)	Compensatory afforestation.	16,18,156/-
b)	Additional CA	-
c)	Penal CA	20,67,185
d)	Catchment area treatment.	-
e)	Wild Life Management plan.	-
f)	Additional Charge of diversion area falling under notified/protected area.	-
g)	Net Present value.	22,54,830/-
h)	Any other charges/dumping area levies (please Specify).	-
i)	SMCP	-
8(a to h)	Total Amount to be realized.	59,40,171/-
9.	Amount Realized.	59,40,171/-
I	Detail of Bank.	UCO Bank
II	Name of Bank.	Chopal
III	Bank Draft No.	Through RTGS
IV	Date	19.05.2021
V	Amount.	59,40,171/-
VI	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance.	Yes, in A/c No. 150706124362197 IFSC UBIN09903710 through RTGS vide application No. 6124362197 dated 19.05.2021 for Rs. 59, 40,171/- and E- Challan Rs. 2, 83,177/- vide E-Challan No. B21C146967 dated 26.03.2021 G Total=62,23,348/-
VII	Bank (Corporation Bank, Lodhi Complex/Union Bank of India, Sundernager) in which deposited, with date of deposition,	Union Bank of India Lodhi Complex Branch Block 11CGU Complex Phase 1, Lodhi road New Delhi-110003
10.	Any other remarks.	Recommended for granting final approval.

  
Deputy Conservator of Forests,  
Chopal Forest Division, Chopal

**UNDERTAKING CERTIFICATE**

**Point No. 3 (क):**

It is certified that the undertaking is hereby given that the Compensatory Afforestation against diversion of 3-43-20 ha of forest land in favour HPPWD Division Chopal for construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. 0/0 to 9/0, within the jurisdiction of Chopal Forest Division, District Shimla HP will be done by forest Division Chopal in **7 hectare** forest land and wherever practical, local Swadeshi species shall be planted and plantation single species shall be avoided.

  
(Jangvir Singh Dulta) IFS  
Deputy Conservator of Forests,  
Chopal Forest Division, Chopal

**UNDERTAKING CERTIFICATE**

**Point No. 3 (ब):**

It is certified that the Khasra No. of the forest land proposed for the Compensatory Afforestation against diversion of 3-43-20 ha of forest land in favour of HPPWD Division Chopal for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. 0/0 to 9/0, within the jurisdiction of Chopal Forest Division, District Shimla HP is, Khasar No. 243 & 427/338 in forest UPF Ranjat Ranjat Beat, Nerwa Block, Nerwa Range Chopal Forest Division. (Copy of Khasra attached).

  
(Jangvir Singh Dulta) IFS  
Deputy Conservator of Forests,  
Chopal Forest Division, Chopal

**UNDERTAKING CERTIFICATE**

**Point No. 3 (ग):**

It is certified that in past, no plantation works have been done CA area (UPF Rinjet), allotted against diversion of 3-43-20 ha of forest land in favour of HPPWD Division Chopal for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. 0/0 to 9/0, within the jurisdiction of Chopal Forest Division, District Shimla HP under any other scheme.

  
(Jangvir Singh Dulta) IFS  
Deputy Conservator of Forests,  
Chopal Forest Division, Chopal



राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश - नकल जमाबंदी

एस.सी.ए रसीद संख्या: 6005113425573383  
 नाम : -  
 पिता/पति : -

सेवा शुल्क : ₹ 10.00  
 नकल शुल्क : ₹ 15.00  
 कुल शुल्क : ₹ 25.00

शिमला  
 नगरपालिका : नेरवा  
 वार्ड नं. : 87

राजस्व गांव : रिन्जट

जमाबंदी वर्ष: 2022-2023

क्षेत्रफल ईकाई: है-आ-से

1	2	3	4	5	6	7	8	9
खतीनी नम्बर तथा मूजरे द्वारा अदा कए जाने वाले कल भू-राजस्व एवं स्वाई का विवरण	मानिक का पूर्ण विवरण	कारतकार/कब्जाधारक का पूर्ण विवरण	सिंचाई का साधन	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल व किस्म	राजस्व गांव का कल मामला तथा भूमि की किस्मवार प्रति ईकाई भू-राजस्व दर	टिप्पणी/कैफियत	
33 मिन	96 मिन	सरकार हिमाचल प्रदेश						
34	98		कब्जा स्वयं ताबे हकूक बर्तन बर्तनदारान मुताबिक नक्शा वर्तन		427/338	07-21-71 धरागाह	कब्जा व पडला बशरह खेवट न. 05-01-2016	
0.00 माल								
0.00 स्वाई								
0.00								

Certified that this copy has been generated from the database of Revenue Department at Central Server- HP as accessed by the Lok Mitra Kendra Sandeep Kumar on 05-January-2026  
 निकनेट : हिमाचल प्रदेश - शिमला

To Verify; enter the Copy No above Bar Code at  
<https://himbhoomilmk.nic.in>  
 For Validity Refer : Notific. No:Rev-C(FY)10-1/2009 Dated 14-Feb-2011

Jam0914256726



पृष्ठ संख्या: 1



AGENCY COPY

यूनियन बैंक  Union Bank  
of India

SPECT  
Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-05-2021

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6124362197
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/93/2019/FC
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address.	CHOPAL DIVISION HPPWD CHOPAL Shimla
Amount(in Rs)	5940171/-

Amount in Words :Fifty-Nine Lakh Forty Thousand One Hundred and Seventy-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903110
Pay to Account No.	150706124362197 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

*[Signature]*

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक  Union Bank  
of India

SPECT  
Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-05-2021

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6124362197
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/93/2019/FC
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address:	CHOPAL DIVISION HPPWD CHOPAL Shimla
Amount(in Rs)	5940171/-

Amount in Words :Fifty-Nine Lakh Forty Thousand One Hundred and Seventy-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903110
Pay to Account No.	150706124362197 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

*[Signature]*

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

*[Signature]*  
267430492

*[Signature]*

24



E-CHALLAN

Government Of Himachal Pradesh

Department of Finance

Treasuries, Accounts & Lotteries

Valid upto 01-Apr-2021

Remmitter Copy

HIMGRN B21C146967

Date 26-03-2021 05:32:01PM

Department Forest

BarCode



Period

26-03-2021 To 31-03-2021

DDO

SML14-831 FOREST DIVISION CHOPAL

Head

₹ Amount

0406-01-800-12-RECEIPT FROM OTHER DEPARTME

283177

Total/Net Amount

283177

In words

Two Lakh Eighty Three Thousand One Hundred Seventy Seven

Payee Detail

Licence/Vehicle/Permit/TIN no.

RECEIPT FROM OTHER DEPARTMENTS TO COMPENSATION FOR RESTORATION - DEPARTMENTAL CHARGES ON ACCOUNT OF DIVERSION OF 3.4320 HACTARE OF FOREST LAND FOR DHADU DHATRONG TO BHOLALA ROAD

Remitter Name:-

EXECUTIVE ENGINEER

ENGINEER

Address:-

CHOPAL DIVISION HPPWD CHOPAL

Mob: 9418812344

HPPWD Chopal

FOR USE IN RECEIVING BANK

Bank CIN No

HIMGRN

B21C146967


Amount

₹ 283177

Bank

MANAGER, UCO CHOPAL

Cheque-DD-No.



NIC-IF

B21C146967

e-Challan (IFMS)





No. PW.CHD.CB.FCA- Dhadu Dhatrog/2025-  
सेवा में,

11967

Dated : 18/01/25

प्रभागीय वन अधिकारी,  
वन प्रभाग चौपाल,  
जिला शिमला हि० प्र०

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017.

महोदय,

उपरोक्त विषय के अनुसार सैद्धान्ति स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जो की इस प्रकार से है:-


क्र. सं.	भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्तों की अनुपालना
1.	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	इस कार्यालय द्वारा वन भूमि की विधिक स्थिति नहीं बदली जाएगी
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त मंजूर है
3.	<b>प्रतिपूरक वनीकरण:</b>	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात 7.00 हे Rinjet UPF में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि के बचें।	प्रतिपूरक वनीकरण प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात 7.00 हे Rinjet UPF में किया जाएगा। और स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा।
ख	राज्य शासन द्वारा सी. ए. क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी क्योंकि वर्तमान में खसरा संख्या के स्थान पर सर्वे संख्या अंकित की गयी है।	सी. ए. क्षेत्र के सही खसरा संख्या भूमि दस्तावेज़ सहित संलगन कर दिए गए हैं।
ग	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी. ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र कि उक्त सी. ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है, संलगन कर दिया गया है।

घ	राज्य सरकार निर्देशित guideline para 1.21 (ii) के अनुसार FCA, 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप Penal NPV की निर्धारित राशि कैम्पा कोष में online web portal द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के माध्यम से जमा करेगी जिसमें 12% interest date/year of violation से deposit किये जाने तक की तिथि तक calculate किया जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा Penal NPV की निर्धारित राशि कैम्पा कोष में online Challan के माध्यम से जमा करवा दी गयी है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	इस कार्यालय द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा कर दी गयी है।
5	<b>शुद्ध वर्तमान मूल्य</b>	
क	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या :202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006 - एफ दिनांक .सी.03.10.2006 एवं 5-3/2007- एफ .सी. दिनांक 05.02. 2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.432 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस कार्यालय द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की निर्धारित राशि कैम्पा कोष में online Challan के माध्यम से जमा करवा दी गयी है।
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	इस कार्यालय द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार को जमा करवाया जायेगा इस सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा शपथपत्र संलग्न कर दिया गया है।
6	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा। A No. 3840 in WP (c) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ. सी. ए. के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार माउच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।	शर्त मंजूर है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 160 जतममे से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास	इस कार्यालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखा जायेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 160 जतममे से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।

	पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	इस कार्यालय द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जा चुकी है।
8	ऑनलाइन वेब पोर्टल पर वृक्षों की सूची में ओक के (बॉन) क्षों को miscellaneous में अंकित किया गया है, जो कि उचित नहीं है। अतः यथानुसार ऑनलाइन पोर्टल पर corrections किये जायें।	ऑनलाइन पोर्टल पर ज़रूरी corrections कर दिए गए हैं।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है एवं पूर्ण एफआरए प्रमाण पत्र सभी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर दिया गया है।
10	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल (ई-पोर्टल- <a href="https://parivesh-nic-in/">https://parivesh-nic-in/</a> ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे। /	परियोजना के तहत प्राप्त धन ई पोर्टल- ( <a href="https://parivesh-nic-in/">https://parivesh-nic-in/</a> ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा / कर दिया गया है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	इस कार्यालय द्वारा आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
12	संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ / गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	इस कार्यालय द्वारा संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में / निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
13	पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	इस कार्यालय द्वारा यदि आवश्यक हुआ तो, पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), 1986 के प्रावधानों के अनुसार, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
14	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का लेआउट - प्लान नहीं बदला जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले आउट प्लान नहीं बदला - जाएगा।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा मजदूरों को वैकल्पिक ईंधन कानूनी स्रोत के माध्यम से दिया जायेगा।
17	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि सीमांकन किया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि सीमांकन किया जाएगा।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
20	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	इस कार्यालय द्वारा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	इस कार्यालय द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समयसमय- पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	इस कार्यालय द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समयसमय- पर निर्धारित शर्तों की अनुपालना की जायेगी।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	इस कार्यालय द्वारा इस शर्त की अनुपालना की जाएगी।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / नियम/ अनुच्छेद / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते/ न्यायालय आदेश है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / क्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। प्रयो	इस कार्यालय द्वारा सम्बन्धित अधिनियम / अनुदेश / न्यायालय आदेश / नियम/ अनुच्छेद आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जाएगी।
25	अनुपालना रिपोर्ट ई) पोर्टल- <a href="https://parivesh.nic/in/">https://parivesh.nic/in/</a> ) पर अपलोड की जाएगी।	इस कार्यालय द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई पोर्टल- ( <a href="https://parivesh.nic/in/">https://parivesh.nic/in/</a> ) पर अपलोड की जाएगी।

  
 Deputy Conservator of Forests  
 Chopal Forest Division


  
 Executive Engineer  
 B & R Division  
 HPPWD Chopal

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017).

1.	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	इस कार्यालय द्वारा वन भूमि की विधिक स्थिति नहीं बदली जाएगी
----	---	--

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division


  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopal

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017.

2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त मंजूर है
----	--	---------------

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division


  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopal

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla H.P. (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017.

3. प्रतिपूरक वनीकरण:		
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात 7.00 हे Rinjet UPF में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि के बचें।	प्रतिपूरक वनीकरण प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात 7.00 हे Rinjet UPF में किया जाएगा। और स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा।
ख	राज्य शासन द्वारा सी क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जाएगी क्योंकि वर्तमान में जानकारी प्रस्तुत .ए. खसरा संख्या के स्थान पर सर्वे संख्या अंकित की गयी है।	सी. ए. क्षेत्र के सही खसरा संख्या भूमि दस्तावेज़ सहित संलग्न कर दिए गए हैं।
ग	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी. ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र कि उक्त सी. ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है, संलग्न कर दिया गया है।
घ	राज्य सरकार निर्देशित guideline para 1.21 (ii) के अनुसार FCA, 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप Penal NPV की निर्धारित राशि कैम्पा कोष में online web portal द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के माध्यम से जमा करेगी जिसमें 12% interest date/year of violation से deposit किये जाने तक की तिथि तक calculate किया जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा Penal NPV की निर्धारित राशि कैम्पा कोष में online Challan के माध्यम से जमा करवा दी गयी है।


  
Deputy Conservator of Forests  
Chopla Forest Division

  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopla

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017.

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	इस कार्यालय द्वारा पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा कर दी गयी है।
---	---	---

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division


  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopal

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017).

5	<b>शुद्ध वर्तमान मूल्य</b>	
क	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या :202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006 - एफ दिनांक .सी.03.10.2006 एवं 5-3/2007- एफ .सी. दिनांक05.02. 2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.432 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस कार्यालय द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की निर्धारित राशि कैम्पा कोष में online Challan के माध्यम से जमा करवा दी गयी है।
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	इस कार्यालय द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार को जमा करवाया जायेगा इस सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा शपथपत्र संलग्न कर दिया गया है।

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division


  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopal

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017.

6	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा। A No. 3840 in WP (c) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ. सी. ए. के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार माउच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।	शर्त मंजूर है।
---	---	----------------

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division


  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopal

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017.

7	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 160 जतममे से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	इस कार्यालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखा जायेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 160 जतममे से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। इस कार्यालय द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जा चुकी है।
---	---	--

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division

  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopal

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017.

8	ऑनलाईन वैब पोर्टल पर वृक्षों की सूची में ओक (बाँन) के वृक्षों को miscellaneous में अंकित किया गया है, जो कि उचित नहीं है। अतः यथानुसार ऑनलाईन पोर्टल पर corrections किये जायें।	ऑनलाईन पोर्टल पर ज़रूरी corrections कर दिए गए हैं।
---	---	--

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division


  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopala

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017).

9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है एवं पूर्ण एफआरए प्रमाण पत्र सभी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर दिया गया है।
---	---	--

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division

  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopal

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017).

10	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई -पोर्टल- <a href="https://parivesh-nic-in/">https://parivesh-nic-in/</a> के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरितजमा किए / जाएंगे।	परियोजना के तहत प्राप्त धन ई पोर्टल- ( <a href="https://parivesh-nic-in/">https://parivesh-nic-in/</a> ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरितजमा / कर दिया गया है।
----	--	--

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division

  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopal

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017).

11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	इस कार्यालय द्वारा आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
----	--	--

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division


  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopal

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017).

12	संरक्षित क्षेत्रों क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के वन / साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	इस कार्यालय द्वारा संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में / निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
----	---	--

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division

  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopal

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017.

13	पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	इस कार्यालय द्वारा यदि आवश्यक हुआ तो, पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), 1986 के प्रावधानों के अनुसार, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
----	--	---

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division


  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopal

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017.

14	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले - आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का लेआउट - प्लान नहीं बदला जाएगा।
----	--	---

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division

  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopal

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017).

15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
----	---	--

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division

  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopal


## Undertaking

**Subject:-**

Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017.

16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा मजदूरों को वैकल्पिक ईंधन कानूनी स्रोत के माध्यम से दिया जायेगा।
----	--	--

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division


  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopal

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Chopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017.

17	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि सीमांकन किया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि सीमांकन किया जाएगा।
----	---	--

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division


  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopal

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017).

18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
----	---	--

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division


  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopal

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017.

19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
----	---	--

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division

  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopal


## Undertaking

Subject:-

Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017.

20	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	इस कार्यालय द्वारा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
----	--	---

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division

  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopala

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017).

21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	इस कार्यालय द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
----	---	--

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division


  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopala

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhupal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017.

22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समयसमय- पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	इस कार्यालय द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समयसमय- पर निर्धारित शर्तों की अनुपालना की जायेगी।
----	---	---


  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division

  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopal

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017.

23 प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे । राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	इस कार्यालय द्वारा इस शर्त की अनुपालना की जाएगी।
---	--

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division

  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopal

## Undertaking

**Subject:-** Diversion of 3.4320 hac. of forest laand in favour of HPPWD for the construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road km. R.D. 0/0 to 9/0 within the jurisdiction of Cjhopal Forest Division District Shimla HP (Online proposal No. FP/HP/ROAD/24362/2017.

24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम अनुच्छेद / अनुदेश आदि इस / न्यायालय आदेश / नियम/ प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार प्रयोक्त एजेंसी की / जिम्मेवारी होगी।	इस कार्यालय द्वारा सम्बन्धित अधिनियम / अनुदेश / न्यायालय आदेश / नियम/ अनुच्छेद आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जाएगी।
----	---	--

  
Deputy Conservator of Forests  
Chopal Forest Division

  
Executive Engineer  
B & R Division  
HPPWD Chopal